

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

73/2018


तारीखरजू:-25.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- रुमेल बनाम कलुवा

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188

क्र	फर्द अहकाम
6.2018	<p>वादी की और से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 20.07.2018 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">2313-15 25/6/18</p> <p style="text-align: center;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p> <p><u>20.7.18</u> वादी वकीलन उप०/ प्रतिवादीगण क्वचूड सूचना उपस्थित नहीं/ P.O. सा० बाहर पधार दी आईन्दा दि० 17.8.18 को पेश हो।</p> <p>17.8.18. (इव न/श)</p> <p>20.8.18 वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी (इव न/श) पर है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>12.9.18</u> को पेश हो।</p> <p>12.9.18 वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली (इव न/श) पर है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>12.10.18</u> को पेश हो।</p> <p>12.10.18 वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी (इव न/श) पर है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक <u>21.11.18</u> को पेश हो।</p> <p>प्रतिवादीजं. 1,2 की डोट से श्री हरराम गूर्ज (अव.न. क्वालतनाम) पेश किए। शा. रे. पत्रावली दिनांक 21-11-18 को पेश हो।</p>

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क	फर्द अहकाम	
12.9.19	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी बाहर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 14-10-19 को पेश हो।</p>	
14.10.19	<p>वकुलाय उप०। जबाब पेश करने समय चार। सुनकर न्यायहित में एक मौका दिया जाता है जबाब पेश करने दिनांक 18.11.19 को पेश हो।</p>	
18.11.19	<p>पत्रावली पेश हुई। बादी वकील उपस्थित नहीं है। कई बार रुक-रुक का आवाज-दिलवाई गई। फिर भी बादी वकील एवं बादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी अदम चैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	<p>उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>

